

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dcc/>  
e-mail: [jdacad1960@gmail.com](mailto:jdacad1960@gmail.com) Ph: 0141-2706550

क्रमांक:एफ.8 परीक्षा केन्द्र/अकाद/आकाशि/2022/ 50 दिनांक: 16 मार्च, 2023

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय  
राजस्थान।

विषय:- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान में आवश्यक बैठको व अन्य परीक्षा संबंधित गोपनीय कार्यो के लिए महाविद्यालय के सहायक/सह-आचार्यो को ड्यूटी लीव पर मानने बाबत।

सन्दर्भ:- शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-6)विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(7) शिक्षा-6/2015 जयपुर दिनांक 01.02.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान में आवश्यक बैठको व अन्य परीक्षा संबंधित गोपनीय कार्यो के निष्पादन हेतु आयुक्तालय के पत्रांक एफ. 8 (विविध) अकादमी अवकाश/अकाद/आकाशि/03/19 दिनांक 12.01.2015 (प्रति संलग्न) के अनुसार ही कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6)विभा के पत्रांक प.3(7)शिक्षा-6/2015 जयपुर दिनांक 01.02.2023
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
5. वेब प्रभारी, आयुक्तालय संबंधित को अपलोड करने हेतु।

(डॉ. शैला महान)  
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Signature valid

Digitally signed by Shaila Mahan  
Designation: Associate Professor  
Date: 2023.03.14 17:03:32 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3383946



आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 8(विविध)अकादमी अवकाश/अकाद/आकाशि/03/19

दिनांक: 12 जनवरी, 2015

समस्त प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।


विषय: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान में आवश्यक बैठकों व अन्य परीक्षा संबंधित गोपनीय कार्यों के लिए महाविद्यालय प्राध्यापकों को ड्यूटी लीव पर मानने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान में आवश्यक बैठकों व अन्य परीक्षा संबंधित गोपनीय कार्यों के निष्पादन हेतु जिन महाविद्यालय प्राध्यापकों को नियुक्त किया जाता है उन प्राध्यापकों को उक्त कार्य हेतु कार्यमुक्त किया जावे। प्राध्यापकों द्वारा कार्य करने की अवधि को "ऑन ड्यूटी" मानते हुये बोर्ड द्वारा जारी उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें ड्यूटी लीव पर माना जावे।

उक्त कार्य पर जाने वाले व्याख्याताओं को टी.ए./डी.ए. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा ही देय होगा।

भवदीय,

  
12/1/15  
(भवानी साहनी)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं पदेन  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, जयपुर

क्रमांक: एफ 8(विविध)अकादमी अवकाश/अकाद/आकाशि/03/19

दिनांक: 12 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर।
3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया पत्र को वेबसाईट पर अपलोड करने का प्रेम करें।



(डॉ. अमिता गिल)  
आयुक्त निदेशक(अकादमी)  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर